संख्या : — /जी0एस0(शिक्षा) / A11-97(1)/2021

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

10 MAY 2022

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक ~~अप्रैल~~, 2022

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्याः 3734/SDSUV/Affi/2020-21 दिनांक 02–09–2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा डी0बी0एस0 ग्रुप, एच0बी0एल0 कैम्पस, 122, एम0आई0, सेलाकुईं, देहरादून को एम–एससी0(एग्रीकल्चर), बी–एससी0(एग्रीकल्चर), बी–एससी0(फॉरेस्ट्री), बी0बी0ए0, बी0कॉम(आनर्स), बी0कॉम0, बी0सी0ए0 एवं बी0ए0(मास कम्यूनिकेशन) पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2019–20 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2– अतः शैक्षिक 2019–20 की अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–06 की धारा–33 (1) के अन्तर्गत संस्थान को उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा छात्रहित में अनुमोदन / स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

क्र0	महाविद्यालय / संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	डी0बी0एस0 ग्रुप, एच0बी0एल0 कैम्पस, 122 एम0आई0, सेलाकुई, देहरादून।	एम–एससी0(एग्रीकल्चर)	20 सीट	2019–20
		बी–एससी0(एग्रीकल्चर)	180 सीट	
		बी–एससी0(फॉरेस्ट्री)	60 सीट	
		बी0बी0ए0	120 सीट	
		बी0कॉम0(आनर्स)	60 सीट	
		बी0कॉम0	120 सीट	
		बी0सी0ए0	60 सीट	
		बी0ए0(मॉस कम्यूनिकेशन)	60 सीट	

1– निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व तत्सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2– विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए छात्रहित में महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये जाने के निर्णय से पूर्व यू0जी0सी0 विनियम / राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी, ताकि अध्ययनरत् छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

3– अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार ससमय निर्धारित सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 511 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / A11-97(1)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य / प्रबन्धक, डी0बी0एस0 ग्रुप, एच0बी0एल0 कैम्पस, 122 एम0आई0, सेलाकुईं, देहरादून।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव